

बिहार गजट असाधारण अंक

अंसाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

28 श्रावण 1937 (श0) (सं0 पटना 941) पटना, बुधवार, 19 अगस्त 2015

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

19 अगस्त 2015

सं० एल0जी0-1-13/2015/लेजः 111—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर राज्यपाल दिनांक 13 अगस्त 2015 को अनुमति दे चुकें है, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

मनोज कुमार,

सरकार के संयुक्त सचिव।

बिहार कराधान विवाद समाधान अधिनियम, 2015 [बिहार अधिनियम 14, 2015]

प्रस्तावना :— बिहार वित्त अधिनियम, भाग I (बिहार अधिनियम 5/1981) [जो बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27/2005) की धारा 94 द्वारा निरिसत किये जाने के पूर्व था।] तथा बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27/2005), केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (अधिनियम 74/1956), बिहार होटल विलास वस्तु कराधान अधिनियम, 1988 (बिहार अधिनियम 5/1988), बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948 (बिहार अधिनियम XXXV/1948), बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम,1948 (बिहार अधिनियम 36/1948) और बिहार विज्ञापन पर कर अधिनियम, 2007 की वित्तीय वर्ष 2010—11 तक के कार्यवाहियों से उत्पन्न विवादों के समाधान हेतु अधिनियम।

भारत—गणराज्य के छियासठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

- 1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारम्भ और पात्रता मानदंड** |— (1) यह अधिनियम बिहार कराधान विवाद समाधान अधिनियम, 2015 कहा जा सकेगा।
 - (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
 - (3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा एवं अधिसूचना निर्गमन की तिथि से तीन माह तक लागू रहेगा।
- (4) यह ऐसे सभी विवादों पर लागू होगा जो विधि के अधीन वित्तीय वर्ष 2010—11 तक की कार्यवाहियों से उत्पन्न हों एवं पक्षकार द्वारा विवाद के समाधान हेतु आवेदन अधिनियम की समाप्ति के पन्द्रह दिन पूर्व तक दिया गया हो एवं समाधान—राशि का भुगतान अधिनियम के लागू रहने की अविध तक किया गया हो।

अध्याय I प्रारम्भिक।

- 2. परिभाषाएं |- इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो-
- (क) ''स्वीकृत कर'' से अभिप्रेत है विधि के अधीन पक्षकार द्वारा दाखिल विवरणी में स्वीकार की गई देय कर की राशि;
- (ख) ''अपील'' से अभिप्रेत है विधि के अधीन बिहार वित्त अधिनियम, 1981 की धारा 9 या बिहार मूल्य विर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 10 के अधीन नियुक्त और क्षेत्रीय अधिकारिता वाले वाणिज्य—कर संयुक्त आयुक्त (अपील) अथवा वाणिज्य—कर उपायुक्त (अपील) के समक्ष लिम्बत अपील;
- (ग) ''निर्धारित कर'' से अभिप्रेत है विधि के अधीन कर—निर्धारण अथवा पुनर्निर्धारण आदेश के अधीन चुकाया जाने वाला विनिश्चित कर ;
- (घ) ''विवाद'' से अभिप्रेत है विधि के अधीन पारित किसी आदेश से उत्पन्न और, यथा स्थिति, निम्नलिखित के समक्ष लिम्बत अपील, पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन, रेफेरेन्स, रिट पिटीशन अथवा विशेष इजाजत से याचिका (एस०एल०पी०):—
 - (i) वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (अपील) अथवा वाणिज्य-कर उपायुक्त (अपील);
 - (ii) वाणिज्य–कर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन);
 - (iii) वाणिज्य-कर आयुक्त;
 - (iv) वाणिज्य-कर न्यायाधिकरण;
 - (v) उच्च न्यायालय ;
- (vi) भारत का सर्वोच्च न्यायालय ; और इसमें शामिल हैं—
- (1) विधि के अधीन नियुक्त अथवा विहित अथवा प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित कर, सूद अथवा शास्ति या.
- (2) विधि के अधीन अथवा बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम, 1914 के अधीन नियुक्त अथवा विहित अथवा प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा प्रारम्भ किये गये अथवा के समक्ष लिम्बत कर, सूद अथवा शास्ति की वसूली हेत् कार्यवाही;
- (ङ.) किसी विवाद के संबंध में ''विवादित राशि'' से अभिप्रेत है कोई कर, सूद अथवा शास्ति की राशि जो पक्षकार द्वारा देयकर के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है;
 - (च) "प्रपत्र" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के साथ संलग्न प्रपत्र;
- (छ) ''विधि'' से अभिप्रेत है बिहार वित्त अधिनियम का भाग I (बिहार अधिनियम 5/1981) [जो बिहार मूल्य विर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27/2005) की धारा 94 द्वारा निरिसत किये जाने के पूर्व था।] , बिहार मूल्य विर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27/2005), केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (अधिनियम

74/1956), बिहार होटल विलास वस्तु कराधान अधिनियम, 1988 (बिहार अधिनियम 5/1988), बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948 (बिहार अधिनियम XXXV/1948), बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 (बिहार अधिनियम, 36/1948) और बिहार विज्ञापन पर कर अधिनियम, 2007;

- (ज) ''पक्षकार'' से अभिप्रेत है कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन किसी विवाद के समाधान हेतु आवेदन दाखिल करता हो;
 - (झ) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है बिहार कराधान विवाद समाधान अधिनियम, 2015;
 - (ञ) इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ ''विहित प्राधिकारी'' से अभिप्रेत है—
 - (i) किसी अपील के सम्बंध में वाणिज्य—कर संयुक्त आयुक्त(अपील) अथवा वाणिज्य—कर उपायुक्त (अपील) जिनके समक्ष अपील लिम्बत है,
 - (ii) आयुक्त अथवा न्यायाधिकरण के समक्ष लिम्बत कोई पुनरीक्षण अथवा उच्च न्यायालय के समक्ष लिम्बत रिट पीटीशन अथवा रेफरेन्स अथवा सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लिम्बत विशेष अनुमित याचिका (एस०एल०पी०) के मामले में वाणिज्य—कर आयुक्त;
 - (iii) अन्य किसी मामले में संबंधित प्रमंडल के प्रभारी वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन)
- (ट) "पुनरीक्षण" से अभिप्रेत है विधि के अधीन पुनरीक्षण के लिए आवेदन, जो बिहार वित्त अधिनियम, 1981 भाग I की धारा 9 या बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 10 के अधीन नियुक्त वाणिज्य—कर आयुक्त अथवा न्यायाधिकरण के समक्ष लिम्बत हो;
 - (ठ) ''समाधान-राशि'' से अभिप्रेत है वह राशि जिसका भूगतान करने पर विवाद का समाधान हो जायेगा;
- (ड) ''न्यायाधिकरण'' से अभिप्रेत है बिहार वित्त अधिनियम, 1981, भाग I की धारा 8 या बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 9 के अधीन गठित न्यायाधिकरण;
- (ढ़) ''विवरणीत आवर्त्त'' से अभिप्रेत है विधि के अधीन पक्षकार द्वारा विवरणी में अभिलिखित किया गया सकल आवर्त्तः
- (ण) अन्य अभिव्यक्तियों के, जो इसमें परिभाषित नहीं हैं, अर्थ होंगे जो विधि के अधीन क्रमशः उनके प्रति समनुदेशित किए गए हों।

अध्याय **II** विवाद का समाधान

3. समाधान—राशि । - (1) जहाँ विवाद वित्तीय वर्ष 2004—05 तक की कार्यवाहियों से संबंधित हों वहाँ समाधान—राशि तालिका— I के स्तम्भ 2 में उल्लिखित मामलों के लिए उनके सामने स्तम्भ 3 या 4 या 5 में उल्लेखित दर के अनुसार एवं जहाँ विवाद वित्तीय वर्ष 2005—06 से वित्तीय वर्ष 2010—11 तक की कार्यवाहियों से संबंधित हैं वहाँ समाधान— राशि निम्न तालिका II के अनुसार होगी :—

तालिका- I

क्र ० सं०	विवादित बकाया की राशि	इस अधिनियम के आरंभ होने की तिथि से एक माह के भीतर भुगतान करने पर	इस अधिनियम के आरंभ होने की तिथि से एक माह के पश्चात् किन्तु दो माह के भीतर भुगतान करने पर	इस अधिनियम के आरंभ होने की तिथि से दो माह के पश्चात् इस अधिनियम की समाप्ति तक भुगतान करने पर
1	2	3	4	5
1.	बिहार वित्त अधिनियम, 1981, भाग I के अधीन दावा के समर्थन में प्रपत्र IX सी अथवा प्रपत्र IX के दाखिल नहीं किये जाने के कारण उत्पन्न कोई विवाद ।	विवादित कर की राशि का 10 प्रतिशत।	विवादित कर की राशि का 10 प्रतिशत।	विवादित कर की राशि का 10 प्रतिशत।
2.	जहाँ विवाद में, क्रमांक 1 में उल्लेखित के सिवाय, बकाया कर— राशि रूपये 10,00,000 (दस लाख) से अनधिक हो,	विवादित बकाया कर— राशि का तेईस प्रतिशत	विवादित बकाया कर— राशि का चौबीस प्रतिशत	विवादित बकाया कर— राशि का पच्चीस प्रतिशत।

क्र ० सं०	विवादित बकाया की राशि	इस अधिनियम के आरंभ होने की तिथि से एक माह के भीतर भुगतान करने पर	इस अधिनियम के आरंभ होने की तिथि से एक माह के पश्चात् किन्तु दो माह के भीतर भुगतान करने पर	इस अधिनियम के आरंभ होने की तिथि से दो माह के पश्चात् इस अधिनियम की समाप्ति तक भूगतान करने पर
1	2	3	4	5
3.	जहाँ विवाद में, क्रमांक 1 में उल्लेखित के सिवाय, बकाया कर-राशि रू० 10,00,000 (दस लाख) से अधिक परन्तु 1,00,00,000 (एक करोड़) से अनधिक हो,	रू० 2,30,000/- (दो लाख तीस हजार) जोड़ 10,00,000/- (दस लाख) से अधिक विवादित बकाया कर राशि का तीस प्रतिशत।	रू० 2,40,000/- (दो लाख चालीस हजार) जोड़ 10,00,000/- (दस लाख) से अधिक विवादित बकाया कर राशि का इकतीस प्रतिशत।	क्त० 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार) जोड़ 10,00,000/- (दस लाख) से अधिक विवादित बकाया कर राशि का बत्तीस प्रतिशत।
4.	जहाँ विवाद में, क्रमांक 1 में उल्लेखित के सिवाय, बकाया कर-राशि रू० 1,00,00,000 (एक करोड़) से अधिक हो,	क्त० 29,30,000/- (उन्तीस लाख तीस हजार) जोड़ 1,00,00,000/- (एक करोड़) से अधिक विवादित बकाया कर राशि का अड़तीस प्रतिशत।	रू॰ 30,30,000/- (तीस लाख तीस हजार) जोड़ 1,00,00,000/- (एक करोड़) से अधिक विवादित बकाया कर राशि का उनचालीस प्रतिशत।	क्तं 31,30,000/- (इकतीस लाख तीस हजार) जोड़ 1,00,00,000/- (एक करोड़) से अधिक विवादित बकाया कर राशि का चालीस प्रतिशत।
5.	विधि के अधीन किसी आदेश से अधिरोपित शास्ति अथवा सूद से उत्पन्न विवाद	विवादित, यथास्थिति, शास्ति अथवा सूद की राशि का दस प्रतिशत।	विवादित, यथास्थिति, शास्ति अथवा सूद की राशि का दस प्रतिशत।	विवादित, यथास्थिति, शास्ति अथवा सूद की राशि का दस प्रतिशत।

तालिका- ॥

क्र	विवादित बकाया की	इस अधिनियम के	इस अधिनियम के आरंभ	इस अधिनियम के
सं०	राशि	आरंभ होने की तिथि	होने की तिथि से एक	आरंभ होने की
		से एक माह के भीतर	माह के पश्चात् किन्तु दो	तिथि से दो माह के
		भुगतान करने पर	माह के भीतर भुगतान	पश्चात् इस
			करने पर	अधिनियम की
				समाप्ति तक
				भुगतान करने पर
1	2	3	4	5
	रूपये 10,00,000 (दस	विवादित बकाया कर	विवादित बकाया कर राशि	विवादित बकाया कर
1.	लाख) से अनधिक	राशि का अटाईस	का उन्तीस प्रतिशत	राशि का तीस
1.	विवादित बकाया कर राशि	प्रतिशत		प्रतिशत।
	के लिए।			
	रू० 10,00,000 (दस	रू० 2,80,000/- (दो	रू० 2,90,000/- (दो लाख	ক্ত 3,00,000/-
	लाख) से अधिक परन्तू	लाख अस्सी हजार)	नब्बे हजार) जोड़	(तीन लाख) जोड़
	,	जोड़ 10,00,000/-	10,00,000/- (दस लाख)	10,00,000/- (दस
2.	1,00,00,000 (एक करोड) से अनधिक	(दस लाख) से अधिक	से अधिक विवादित बकाया	लाख) से अधिक
	विवादित बकाया कर राशि	विवादित बकाया कर	कर राशि का छत्तीस	विवादित बकाया कर
	के लिए।	राशि का पैंतीस	प्रतिशत।	राशि का सैंतीस
	क ।लए।	प्रतिशत।		प्रतिशत।
	क्त० 1,00,00,000 (एक	ক্ত 34,30,000/-	रू० 35,30,000/- (पेंतीस	ক্ত 36,30,000/-
3.	करोड़) से अधिक विवादित	(चौतीस लाख तीस	लाख तीस हजार) जोड़	(छत्तीस लाख तीस
	बकाया कर राशि के लिए।	हजार) जोड़	1,00,00,000/- (एक	हजार) जोड़

क्र० सं०	विवादित बकाया की राशि	इस अधिनियम के आरंभ होने की तिथि से एक माह के भीतर भुगतान करने पर	इस अधिनियम के आरंम होने की तिथि से एक माह के पश्चात् किन्तु दो माह के भीतर भुगतान करने पर	इस अधिनियम के आरंभ होने की तिथि से दो माह के पश्चात् इस अधिनियम की
			करन पर	आधानयम का समाप्ति तक भुगतान करने पर
1	2	3	4	5
		1,00,00,000/- (एक करोड़) से अधिक विवादित बकाया कर राशि का तैतालिस प्रतिशत।	करोड़) से अधिक विवादित बकाया कर राशि का चवालिस प्रतिशत।	1,00,00,000/- (एक करोड़) से अधिक विवादित बकाया कर राशि का पैतालिस प्रतिशत।
4.	विधि के अधीन किसी आदेश से अधिरोपित शास्ति अथवा सूद से उत्पन्न विवाद	विवादित, यथास्थिति, शास्ति अथवा सूद की राशि का दस प्रतिशत।	विवादित, यथास्थिति, शास्ति अथवा सूद की राशि का दस प्रतिशत।	विवादित, यथास्थिति, शास्ति अथवा सूद की राशि का दस प्रतिशत।

स्पष्टीकरण । — समाधान—राशि में स्वीकृत कर का भुगतान शामिल नहीं होगा एवं पक्षकार स्वीकृत कर की संपूर्ण राशि जमा करेगा।

स्पष्टीकरण II — विवाद के समाधान के लिए इच्छुक किसी पक्षकार ने यदि इस समाधान योजना के आरंभ होने के पूर्व, विवादित राशि के मद में समाधान राशि के समतुल्य या अधिक राशि का भुगतान पहले ही कर दिया हो, तो उक्त राशि समाधान—राशि की मानी जायेगी किन्तु समाधान—राशि से अधिक जमा राशि वापस नहीं की जाएगी।

स्पष्टीकरण III – विवाद के समाधान के लिए इच्छुक किसी पक्षकार ने यदि इस समाधान योजना के आरंभ होने के पूर्व, किसी विवादित राशि को जमा कर दिया हो तो उक्त राशि समाधान–राशि का भुगतान समझी जाएगी एवं पक्षकार को केवल अंतर–राशि का भुगतान करना होगा।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किन्तु इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अधीन रहते हुए, किसी ऐसे विवाद का समाधान हो चुका माना जायेगा, जिसके संबंध में उप—धारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट राशि इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट रीति से एवं समय के भीतर सरकारी कोषागार में जमा कर दी गई है, और उसे किसी अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष जारी नहीं रखा जाएगा।

अध्याय **III** विवाद के समाधान का तरीका

- **4.** समाधान के लिए आवेदन I-(1) विवाद के समाधान के लिए इच्छुक कोई पक्षकार इस अधिनियम की समाप्ति के पन्द्रह दिन पूर्व तक प्रपत्र सेट- I में अपना आवेदन विहित प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा जिसके साथ
- (क) एक सौ रूपये का एडहेसिभ न्यायालय फीस मुद्रांक होगा और इसके साथ विधि के अधीन नियुक्त अथवा विहित अथवा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा निर्गत माँग—पत्र एवं पक्षकार द्वारा इस आशय का एक शपथ पत्र संलग्न होगा कि इसमें सन्निहित तथ्य सत्य और सही हैं।
- ्रे (ख) स्वीकृत कर के भुगतान के समर्थन में कर—भुगतान के साक्ष्य एवं विवरणियों की प्रतियाँ संलग्न किये जाएंगे।
- (ग) वाणिज्य—कर संयुक्त आयुक्त (अपील) या वाणिज्य—कर उपायुक्त (अपील) के समक्ष लिम्बत मामलों में दायर अपीलीय आवेदन की सत्यापित प्रति संलग्न होगी,
- (घ) वाणिज्य—कर आयुक्त के समक्ष लिम्बत पुनरीक्षण आवेदन के मामले में पुनरीक्षण आवेदन की सत्यापित प्रति संलग्न होगी,
- (ड.) न्यायाधिकरण के समक्ष लिम्बत अपील / पुनरीक्षण आवेदन के मामले में अपील / पुनरीक्षण आवेदन की सत्यापित प्रति संलग्न होगी,
- (च) उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष, यथास्थिति, लम्बित रेफेरेन्स अथवा रिट पेटीशन अथवा एस०एल०पी० के मामले में, सम्बंधित रेफेरेन्स अथवा रिट पेटीशन अथवा एस०एल०पी० की सत्यापित प्रति संलग्न होगी,
- (2) उक्त आवेदन प्रपत्र प्रावधानित तरीके से स्वामी द्वारा हस्ताक्षरित एवं सत्यापित होगा अथवा फर्म के मामले में फर्म की ओर से प्राधिकृत साझेदार अथवा हिन्दु अविभाजित परिवार के मामले में परिवार का कर्त्ता अथवा कम्पनी अधिनियम, 1956 (अधिनियम- 1/1956) के अधीन गठित कम्पनी अथवा किसी विधि के अधीन गठित निगम के मामले में, प्रबंध निदेशक अथवा प्रमुख कार्यपालक पदाधिकारी अथवा सोसाईटी अथवा क्लब अथवा व्यक्तियों के संगठन, अथवा व्यक्ति समूह अथवा सरकारी विभाग अथवा स्थानीय प्राधिकार के मामले में, प्रमुख कार्यपालक पदाधिकारी अथवा उसके

प्रभारी पदाधिकारी अथवा सभी मामलों में घोषित प्रबंधक द्वारा, आवेदन प्रपत्र प्रावधानित तरीके से हस्ताक्षरित एवं सत्यापित होगाः

परन्तु राज्य सरकार, इस प्रयोजनार्थ राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, उक्त तीन माह की अवधि को, अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट अवधि तक परन्तु तीन माह से अनधिक के लिए बढ़ा सकेगी।

- (3) उप–धारा (1) के अधीन आवेदन करनेवाले पक्षकार को विहित प्राधिकारी का कार्यालय प्राप्ति के प्रतीक रूप में प्रपत्र सेट II में एक प्राप्ति–रसीद देगा।
- **5. आवेदन का निष्पादन** (1) धारा 4 की उप—धारा (1) की आवश्यकताओं के अनुरूप जबतक आवेदन नहीं होगा तबतक किसी आवेदन पर विहित प्राधिकारी द्वारा विचार नहीं किया जायेगाः

परन्तु विहित प्राधिकारी आवेदन प्राप्ति के सात दिनों के भीतर पक्षकार को धारा 4 की उप–धारा (1) की आवश्यकताओं के अनुरूप आवेदन दाखिल करने का अवसर देगा तथा पक्षकार तदनुरूप एक ''पुनरीक्षित'' आवेदन प्रपत्र सेट I में देगा जिसमें सबसे ऊपर में लाल स्याही से पुनरीक्षित शब्द लिखा होगा;

परन्तु और कि विहित प्राधिकारी तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, उक्त सात दिनों की अवधि को उस अवधि के लिए बढा सकेगा जिसे वह उचित समझें।

(2) यदि पक्षकार उप—धारा (1) के प्रथम परन्तुक में प्रावधानित समय के भीतर अथवा यथास्थिति, द्वितीय परन्तुक में प्रावधानित विस्तारित अविध के भीतर पुनरीक्षित आवेदन दाखिल करने में विफल रहता है तो विहित पदाधिकारी प्रपत्र सेट III में लिखित आदेश द्वारा आवेदन को अस्वीकृत कर देगा जिसकी प्रति, अस्वीकृति की तिथि से सात दिनों के भीतर, पक्षकार को अग्रसारित की जायेगीः

परन्तु उपर्युक्त अस्वीकृति पक्षकार को नया आवेदन दाखिल करने से वंचित नहीं करेगी।

- (3) विहित पदाधिकारी, यथास्थिति, आवेदन अथवा पुनरीक्षित आवेदन प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर उसमें दी गई विशिष्टियों की जांच करेगा अथवा करायेगा।
- (4) विहित प्राधिकारी, पक्षकार द्वारा आवेदन प्रपत्र सेट- I में उपलब्ध कराई गई विवादित राशि और समाधान—राशि के परिमाण की जाँच करेगा और यदि ऐसी जाँच में उक्त दोनों राशियाँ सही पायी जाती हैं तो विहित पदाधिकारी ऐसी जाँच के सात दिनों के भीतर पक्षकार को लिखित रूप में समाधान राशि सरकारी कोषागार में जमा करने एवं उप—धारा (6) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट रीति से भुगतान के साक्ष्य के रूप में चालान की प्रति उपलब्ध कराने की सूचना देगा:

परन्तु यदि यथास्थिति आवेदन अथवा पुनरिक्षित आवेदन की प्राप्ति के पन्द्रह दिनों के अन्दर पक्षकार को ऐसी कोई सूचना नहीं भेजी जाती है तो विवादित—राशि एवं समाधान—राशि की गणना और समाधान के लिए आवेदन को स्वीकृत समझा जायेगा और पक्षकार उप—धारा (6) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट रीति से एवं समय के भीतर ऐसी समाधान—राशि जमा करने के लिए अग्रसर होगा।

- (5) (क) यदि उप—धारा (4) के अधीन जाँच में विहित प्राधिकारी पाता है कि उपर्युक्त गणना सही नहीं है तो वह प्रपत्र सेट IV में आदेश द्वारा पक्षकार को सुचित करेगा।
- (ख) पक्षकार खंड (क) में विनिर्दिष्ट आदेश प्राप्त होने पर खंड (क) के अधीन पारित आदेश के आलोक में समाधान हेतु नया आवेदन दाखिल कर सकेगा।
- (6) (क) उप–धारा (4) के अधीन सूचना प्राप्त होने पर, पक्षकार बिहार मूल्य वर्द्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 27 में प्रावधानित रीति से धारा 3 में विनिर्दिष्ट समाधान राशि को सरकारी कोषागार में जमा करेगा।
- (ख) पक्षकार उपर्युक्त सम्पूर्ण समाधान—राशि के जमा करने के सात दिनों के भीतर विवाद को वापस लेने के निमित्त आवेदन उचित न्यायालय अथवा प्राधिकार के समक्ष दाखिल करेगा।

स्पष्टीकरण |- इस खंड के प्रयोजनार्थ ''उचित न्यायालय अथवा प्राधिकार'' शब्द से अभिप्रेत है-

- (i) अपील के मामले में, वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (अपील) अथवा वाणिज्य-कर उपायुक्त (अपील);
- (ii) वाणिज्य—कर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) के समक्ष लिम्बत विविध पुनरीक्षण के मामले में, वाणिज्य—कर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन);
- (iii) वाणिज्य-कर आयुक्त के समक्ष लम्बित पुनरीक्षण आवेदन के मामले में, वाणिज्य-कर आयुक्त;
- (iv) न्यायाधिकरण के समक्ष लिम्बत पुनरीक्षण आवेदन के मामले में, न्यायाधिकरण;
- (V) रेफेरेन्स अथवा रिट पेटीशन के मामले में, उच्च न्यायालय; और
- (vi) विशेष अनुमित याचिका (Special Leave Petition) के मामले में भारत का सर्वोच्च
- (7) विहित प्राधिकारी उप—धारा (6) के खंड (क) के अनुसार आवश्यक सम्पूर्ण समाधान राशि के जमा करने और उप—धारा (6) के खंड (ख) के अनुसार आवश्यक वापसी आवेदन दाखिल करने के सात दिनों के भीतर, प्रपत्र सेट V में विवाद के समाधान का आदेश करेगा।

- (8) उप धारा (7) के अधीन निम्नलिखित मामलों में विवाद समाधान आदेश पारित होने पर-
 - (i) न्यायाधिकरण के समक्ष लम्बित पुनरीक्षण आदेश अथवा
 - (ii) रेफरेन्स अथवा
 - (iii) रिट पेटीशन अथवा
 - (iv) विशेष अनुमित याचिका (स्पेशल लीव पेटीशन)

ऐसा माना जायेगा कि उक्त पुनरीक्षण, रेफेरेन्स, रिट पेटीशन अथवा विशेष अनुमित याचिका वापस लेने के रूप में खारिज कर दिये गये है और किसी आदेश अथवा किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के न्यायादेश में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, ऐसा माना जायेगा कि उक्त पुनरीक्षण, रेफेरेन्स, रिट पेटीशन अथवा विशेष अनुमित याचिका पक्षकार द्वारा कभी नहीं दखिल की गयी है।

- (9) उप-धारा (7) के अधीन समाधान आदेश पारित होने पर, विहित प्राधिकारी-
- (क) न्यायाधिकरण के समक्ष लिम्बत पुनरीक्षण को छोड़कर, अपील अथवा पुनरीक्षण विवाद के समाधान के मामले में, संगत कार्यवाही में, ऐसे समाधान के पूर्ण ब्योरे के साथ इस आशय का आदेश अभिलिखित करेगा कि विवाद के समाधान हो जाने के आलोक में इस कार्यवाही को चलाने की आवष्यकता नहीं है;
- (ख) इस उपधारा के खंड (क) में विनिर्दिष्ट विवाद अथवा न्यायाधिकरण, किसी उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लिम्बत मामलों को छोड़कर, विवाद के समाधान के मामले में, सात दिनों के भीतर समाधान आदेश की सच्ची प्रतिलिपि संबंधित प्राधिकारी को भेजेगा जहाँ ऐसा विवाद लिम्बत है, और उक्त आदेश प्राप्त होने पर सम्बंधित प्राधिकारी संगत कार्यवाही में ऐसे समाधान के पूर्ण ब्योरे के साथ इस आशय का आदेश अभिलिखित करेगा कि विवाद के समाधान हो जाने के आलोक में इस कार्यवाही को चलाने की आवश्यकता नहीं है।

स्पष्टीकरणः इस उप—धारा के प्रयोजनार्थ "संगत कार्यवाही" शब्द से अभिप्रेत है विधि के अधीन पारित किसी आदेश से उत्पन्न अपील, पुनरीक्षण पुनर्विलोकन, रेफेरेन्स, रिट पीटीशन अथवा विशेष अनुमित याचिका (स्पेशल लीव पीटीशन) की कार्यवाही और इसमें किसी विधि अथवा बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम, 1914 के अधीन नियुक्त अथवा विहित अथवा प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा प्रारम्भ और उनके समक्ष लिम्बत कर, सूद अथवा शास्ति की वसूली हेतु कार्यवाही शामिल होगी।

प्रपत्र सेट- I बिहार कराधान विवाद समाधान अधिनियम, 2015 के अधीन विवाद के समाधान हेतु आवेदन का प्रपत्र [देखें धारा 4(1)]

के समक्ष
मैं,
हेत अनरोध करता हँ :
(क) वाद जहाँ लम्बित है(ख) किये गये कथित दोष से उत्पन्न कार्यवाहियों के ब्योरे निम्नवत् हैं :
(ग) कर निर्धारण वर्षके संवीक्षा / करनिर्धारण / पुनर्करनिर्धारण / शास्ति या सूद अधिरोपण से उत्पन्न मांग पत्र जो मुझे / हमलोगों पर

रेफेरेन्स संख्या

विवादित मांग की प्रकृति विवाद से संबंधित अवधि

	आदेश
आपके द्वारा प्रपत्र सेट— I में दाखिल किया र	गया उक्त आवेदन जिसकी इस कार्यालय की पावती संख्या
	रा $5(1)$ के अनुरूप नहीं है और आगे आप उक्त धारा $5(1)$ के परन्तुक
	कराने में विफल रहें है। इस प्रकार प्रपत्र सेट 1 में दाखिल उक्त आवेदन
	015 की धारा 5 (2) के परन्तुक के अनुसार अस्वीकृत किया जाता है।
स्थान :	हस्ताक्षर
तिथि :	пали
ातायः	पदनाम
मुहर :	
ज्ञापांक	दिनांक
प्रतिलिपि अंचल प्रभारी	
/ व्यवसायी	को अग्रसारित।
स्थान :	हस्ताक्षर
तिथि :	पदनाम
ICIM .	યવગાળ
मुहर :	
	प्रपत्र सेट- IV
बिहार कराधान विवाद	समाधान अधिनियम, 2015 की धारा 5(5) के
	अधीन आदेश
	[देखें धारा 5(5)]
व्यवसाय का नाम एवं स्वरूप जिसके संबंध	में समाधान के
लिए आवेदन प्राप्त किया गया है	:
प्रपत्र I की पावती संख्या एवं तिथि	:
उक्त व्यवसाय का पूर्ण पता	:
निबंधन संख्या	:
विवाद का केस/सी०डब्लू० जे०सी०/एस०एत	न्न०पी० /
रेफरेन्स संख्या	
विवादित राशि की प्रकृति विवाद की अवधि	
विवाद का अवाध	:
	आदेश
प्रपत्र सेट- I में दाखिल आवेदन की कंडिव	का 2 में आपके द्वारा प्रतिवेदित समाधान की राशि रू०है,
परन्तु अधोहस्ताक्षरी द्वारा अधिनियम के प्राव	धानों के अनुसार प्रगणित समाधान की देय राशि रू०आती है
(अधोहस्ताक्षरी का प्रगणन संलग्न) स्थान :	Z.1.4101.1
स्थान :	हस्ताक्षर
तिथि :	पदनाम
मुहर :	
ज्ञापांक	दिनांक
a	न अग्रसारित।
स्थान :	हस्ताक्षर
	Z WISI
तिथि :	पदनाम
मुहर :	

प्रपत्र सेट- V बिहार कराधान विवाद समाधान अधिनियम, 2015 के अधीन समाधान आदेश [देखें धारा 5(7)]

व्यवसाय का नाम एवं स्वरूप जिसके संबंध					
में यह आवेदन प्राप्त किया गया है	:				
उक्त व्यवसाय का पूर्ण पता	:				
निबंधन संख्या	:				
विवाद का केस / सी०डब्लू० जे०सी० / एस०एल०पी० / रेफेरेन्स संख्या	:				
विवादित मांग की प्रकृति ::					
विवाद की अवधि	:				
धारा $3(1)$ के साथ संलग्न तालिका में विनिर्दिष्ट आवेदक के विरूद्ध विवादित मांग की राशि विवाद के विरूद्ध किया गया भुगतान	:				
विवाद के विरुद्ध किया विवा गुवलाव	•				

आदेश

बिहार कराधान विवाद समाधान अधिनियम, 2015 की धारा 5 की उप-धारा 7 के प्रावधानों के अनुसार एतद् द्वारा विवाद जिसके ब्योरे उपर दिये गये हैं, का समाधान किया जाता है।

स्थान :			हस्ताक्षर
तिथि :			पदनाम
मुहर :			
ज्ञापांक	प्रतिलिपि अंचल प्रभारी	दिनांक को अग्रसारित।	अंचल / व्यवसायीअंचल / व्यवसायी
स्थान :			हस्ताक्षर
तिथि : मुहर :		fa	पदनाम हार–राज्यपाल के आदेश से,
			भनोज कुमार , सरकार के संयुक्त सचिव।

19 अगस्त 2015

सं0 एल0जी0-1-13/2015/लेजः 112 —बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक 13 अगस्त 2015 को अनुमत बिहार कराधान विवाद समाधान अधिनियम, 2015 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड(3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

> बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मनोज कुमार, सरकार के संयुक्त सचिव।

THE BIHAR SETTLEMENT OF TAXATION DISPUTES ACT, 2015 [Bihar Act 14, 2015]

AN ACT

Preamble :- To provide for settlement of disputes arising from proceedings under Part I of the Bihar Finance Act, 1981 (Bihar Act 5 of 1981) [as its stood before it's repeal by section 94 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005)] and disputes arising from proceedings till financial year 2010-11 under the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005), the Central Sales Tax Act, 1956 (Act 74 of 1956), the Bihar Taxation on Luxuries in Hotels Act, 1988 (Bihar Act 5 of 1988) the Bihar Entertainment Tax Act, 1948 (Bihar Act XXXV of 1948), the Bihar Electricity duty Act.1948 (Bihar Act 36 of 1948) and the Bihar Tax on Advertisement Act, 2007.

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the Sixty sixth year of the Republic of India as follows:-

- 1. Short title, extent, commencement and eligibility criteria— (1) This Act may be called the Bihar Settlement of Taxation Disputes Act, 2015.
 - (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
- (3) It shall come into force at once and effective upto three months from the date of its notification.
- (4) It shall be applicable to all such disuputes arising out from the proceedings under the law till the financial year 2010-11 and application for settlement of dispute shall be furnished before fifteen days of the expiry of the Act and payament of settlement amount shall be deposited till the expiry of the Act.

CHAPTER I

Preliminary

- **2. Definitions** –In this Act, unless otherwise requires in the context –
- (a) "admitted tax" means the amount of tax admitted as being payable in the returns filed by the party under the law;
- (b) "appeal" means an appeal under the law pending before the Joint Commissioner of Commercial Taxes (Appeal) or the Deputy Commissioner of Commercial Taxes (Appeal) appointed and having territorial jurisdiction under section 9 of the Bihar Finance Act, 1981, Part I or section 10 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005;
- (c) "assessed tax' means tax determined as being payable under an order of assessment or reassessment under the law;
- (d) "dispute" means an appeal, revision, review, reference, Writ Petition or Special Leave Petition arising out of any order passed under the law and pending before, as the case may be, the following: –
- (i) the Joint Commissioner of Commercial Taxes (Appeal) or the Deputy Commissioner of Commercial Taxes (Appeal),
 - (ii) the Joint Commissioner of Commercial Taxes (Administration),
 - (iii) the Commissioner of Commercial Taxes,
 - (iv) Commercial Taxes, Tribunal,
 - (v) the High Court,
- (vi) the Supreme Court of India, and includes,
- (1) a levy of tax, interest or penalty by an authority appointed or prescribed or authorized under the law or.

- (2) a proceeding for recovery of tax, interest or penalty initiated by or pending before any authority appointed or prescribed or authorised under the law or the Bihar and Orissa Public Demand Recovery Act, 1914;
- (e) In respect of a dispute "disputed amount" means, any tax, interest or penalty which is not admitted as being payable by the party;
 - (f) "form" means a form appended to this Act;
- (g) "law" means Part I of the Bihar Finance Act, 1981 (Bihar Act 5 of 1981) [as its stood before its repeal by section 94 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005)], the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005), the Central Sales Tax Act, 1956 (Act 74 of 1956), the Bihar Taxation on Luxuries in Hotels Act, 1988 (Bihar Act 5 of 1988) the Bihar Entertainment Tax Act, 1948 (Bihar Act XXXV of 1948), the Bihar Electricity Duty Act, 1948 (Bihar Act 36 of 1948) and Bihar Tax on Advertisement Act,2007.
- (h) "party" means a person who files an application under this Act for settlement of any dispute;
 - (i) "Act" means the Bihar Settlement of Taxation Disputes Act, 2015;
 - (j) "prescribed authority", for the purposes of this Act, means:
 - (i) In respect of any appeal pending, the Joint Commissioner of Commercial Taxes (Appeal) or the Deputy Commissioner of Commercial Taxes (Appeal), before whom appeal is pending;
 - (ii) the Commissioner of Commercial Taxes, in respect of any revision petition pending before the Commissioner or before the Tribunal or in respect of any Writ Petition or reference pending before any High Court or any Special Leave Petition pending before the Supreme Court of India,
 - (iii) the Joint Commissioner of Commercial Taxes (Administration) Incharge of the concerned Division, in any other case;
- (k) "revision" means a petition for revision under the law pending before the Commissioner of Commercial Tax appointed under section 9 of Part I of the Bihar Finance Act, 1981 or section 10 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 or Tribunal under the Act;
- (l) "settlement amount" means the amount upon payment of which the dispute shall be settled;
- (m) "Tribunal" means the Commercial Taxes Tribunal constituted under section 8 of Part I of the Bihar Finance Act, 1981 or section 9 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005
- (n) "turnover returned" means the gross turnover recorded in the returns filed by the party under the law;
- (o) other expressions not defined herein shall have the meanings respectively assigned to them under the law.

CHAPTER II

Settlement of Disputes

3. Settlement amount -(1) where the dispute relates to proceeding till financial year 2004-05, the settlement amount shall be at the rate specified in column (3) or (4) or (5) of the amount of dispute as mentioned in column (2) of the Table-I, and where the dispute relates to proceeding from financial year 2005-06 to financial year 2010-11, the settlement amount shall be as per Table-II below:

Table- I

	Table- I				
Sl. No.	Amount of arrear in dispute	On payment made within one month from the date of commencement of this Act	On payment made after one month but before expiry of two months from the date of commencement of this Act	On payment made after two months from the date of commencement of this Act, till the expiry of this Act	
1	2	3	4	5	
1.	Dispute arising out of non-submission of Form-IXC or Form IX in support of any claim preferred under Part I of the Bihar Finance Act, 1981.	Ten percent of disputed amount of tax.	Ten percent of disputed amount of tax.	Ten percent of disputed amount of tax.	
2.	Where the amount of arrear tax in dispute does not exceed Rs. 10,00,000 (Ten Lakh) other than mentioned in Sl. No. 1.	Twenty three percent of arrear tax in dispute	Twenty four percent of arrear tax in dispute	Twenty five percent of arrear tax in dispute	
3.	Where the amount of arrear tax in dispute exceeds Rs. 10,00,000 (Ten Lakh) but does not exceed Rs. 1,00,00,000(one crore) other than mentioned in Sl. No. 1.	Rs. 2,30,000 (Two Lakh thirty thousand) plus thirty percent of the amount by which the amount of arrear tax in dispute exceeds Rs. 10,00,000 (Ten Lakh).	Rs. 2,40,000 (Two Lakh forty thousand) plus thirty one percent of the amount by which the amount of arrear tax in dispute exceeds Rs. 10,00,000 (Ten Lakh).	Rs. 2,50,000 (Two Lakh fifty thousand) plus thirty two percent of the amount by which the amount of arrear tax in dispute exceeds Rs. 10,00,000 (Ten Lakh).	
4.	Where the amount of arrear tax in dispute exceeds Rs. 1,00,00,000 (one crore) other than mentioned in Sl. No. 1.	Rs. 29,30,000 (Twenty nine Lakh thirty thousand) plus thirty eight percent of the amount by which the amount of arrear tax in dispute exceeds Rs. 1,00,00,000 (one crore).	Rs. 30,30,000 (Thirty Lakh thirty thousand) plus thirty nine percent of the amount by which the amount of arrear tax in dispute exceeds Rs. 1,00,00,000 (one crore).	Rs. 31,30,000 (Thirty one Lakh thirty thousand) plus forty percent of the amount by which the amount of arrear tax in dispute exceeds Rs. 1,00,00,000 (one crore).	

Sl. No.	Amount of arrear in dispute	On payment made within one month from the date of commencement of this Act	On payment made after one month but before expiry of two months from the date of commencement of this Act	On payment made after two months from the date of commencement of this Act, till the expiry of this Act
1	2	3	4	5
5.	For dispute arising	Ten percent of	Ten percent of	Ten percent of
	out of an order	disputed amount of	disputed amount of	disputed amount
	levying penalty or	penalty or interest,	penalty or interest,	of penalty or
	interest under the	as the case may be	as the case may be	interest, as the
	law			case may be

Table- II

Sl. No.	Amount of arrear in dispute	On payment made within one month from the date of commencement of this Act	On payment made after one month but before expiry of two months from the date of commencement of this Act	On payment made after two months from the date of commencement of this Act, till the expiry of this Act
1	2	3	4	5
1.	For the amount of	Twenty eight	Twenty nine	Thirty percent of
	arrear tax in dispute	percent of arrear	percent of arrear	arrear tax in
	does not exceed	tax in dispute	tax in dispute	dispute
	Rs. 10,00,000 (Ten			
	Lakh).	D 4 00 000 (T	D 200000 (T	D 200000
2.	For the amount of	Rs. 2,80,000 (Two	Rs. 2,90,000 (Two	Rs. 3,00,000
	arrear tax in dispute	Lakh eighty	Lakh ninety	(Three Lakh) plus
	exceeds Rs.	thousand) plus	thousand) plus	thirty seven
	10,00,000 (Ten	thirty five percent	thirty six percent	percent of the
	Lakh) but does not	of the amount by	of the amount by	amount by which
	exceed Rs.	which the amount	which the amount	the amount of
	1,00,00,000 (one	of arrear tax in	of arrear tax in	arrear tax in
	crore).	dispute exceeds Rs.	dispute exceeds	dispute exceeds
		10,00,000 (Ten	Rs. 10,00,000 (Ten	Rs. 10,00,000
	E- 1 C	Lakh).	Lakh).	(Ten Lakh).
3.	For the amount of	Rs. 34,30,000	Rs. 35,30,000	Rs. 36,30,000
	arrear tax in dispute	(Thirty four Lakh	(Thirty five Lakh	(Thirty six Lakh
	exceeds Rs.	thirty thousand)	thirty thousand)	thirty thousand)
	1,00,00,000 (one	plus forty three	plus forty four	plus forty five
	crore).	percent of the	percent of the	percent of the
		amount by which	amount by which	amount by which
		the amount of	the amount of	the amount of
		arrear tax in	arrear tax in	arrear tax in

Sl. No.	Amount of arrear in dispute	On payment made within one month from the date of commencement of this Act	On payment made after one month but before expiry of two months from the date of commencement of this Act	On payment made after two months from the date of commencement of this Act, till the expiry of this Act
1	2	3	4	5
		dispute exceeds Rs. 1,00,00,000 (one crore).	dispute exceeds Rs. 1,00,00,000 (one crore).	dispute exceeds Rs. 1,00,00,000 (one crore).
4.	For dispute arising out of an order levying penalty or interest under the law	Ten percent of disputed amount of penalty or interest, as the case may be	Ten percent of disputed amount of penalty or interest, as the case may be	Ten percent of disputed amount of penalty or interest, as the case may be

Explanation I. - Settlement amount shall not include payament of admitted tax and the party shall deposite total amount of admitted tax.

Explanation II. - If a party wishing to settle a dispute, has already deposited any amount of dispute which is equal or more than the settlement amount, before the commencement of this settlement scheme, the said amount would be considered as payment of settlement amount. Although the amount deposited in excess of the settlement amount will not be refunded.

Explanation III. - If a party wishing to settle a dispute, has deposited any amount of dispute before the commencement of this settlement scheme, the said amount would be considered as payment of settlement amount and the party will have to pay the difference amount only.

(2) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force but subject to the other provisions of this Act, any dispute in respect of which the amount specified in subsection (1) has been deposited into Government Treasury, in the manner and within the time specified in this Act, shall be deemed to have been settled and it shall not be proceeded before any appellate authority.

CHAPTER III

Manner of Settlement of Disputes

- **4. Application for settlement** (1) Any party wishing to settle a dispute shall furnish to the prescribed authority, an application in form SET-I, before fifteen days of the expiry of the Act-
- (a) bearing adhesive court-fee stamp for one hundred rupees and shall be accompanied by notice of demand issued by an authority appointed or prescribed or authorized under the law and an affidavit by the party to the effect that the facts contained therein are true and correct,
- (b) accompanied by copies of returns and proof of tax payment in support of payment of admitted tax,
- (c) accompanied by a certified copy of the application for appeal, in the case of a appeal petition pending before the Joint Commissioner Commercial Tax (Appeal) or Deputy Commissioner Commercial Tax (Appeal),

- (d) accompanied by a certified copy of the application for revision, in the case of a revision petition pending before Commissioner Commercial Tax,
- (e) accompanied by a certified copy of the application for revision, in the case of a revision petition pending before the Tribunal,
- (f) accompanied by a certified copy of the reference or Writ Petition or Special Leave Petition, in the case of a reference or Writ Petition or Special Leave pending before the High Court or Supreme Court, as the case may be,
- (2) The said application will be signed and verified in the manner provided in the form by the proprietor of the business; or, in the case of a firm, by the partner authorized to act on behalf of the firm; or, in the case of business of an undivided Hindu family, by the Karta of the family; or, in the case of a company incorporated under the Companies Act, 1956 (Act 1 of 1956) or a corporation constituted under any law, by the managing director or principal executive officer thereof; or, in the case of a society, club or association of persons or body of individual or a department of Government or local authority, by the principal executive officer, or officer in charge thereof; or, by the declared manager in all cases:

Provided that the State Government may, by a notification published in the Official Gazette in this behalf, extend the said period of three months by such further period, not exceeding there months, as may be specified in the said notification.

- (3) The office of the prescribed authority shall grant a receipt in form SET-II to the party making an application under sub-section (1) as token of receipt of the said application.
- **5. Disposal of application** –(1) No application shall be considered by the prescribed authority unless the application conforms to the requirements of sub-section (1) of section 4:

Provided that the prescribed authority shall afford an opportunity to the party to make the application conform to the requirements of sub-section (1) of Section 4 within seven days of the receipt of the application and file a revised application accordingly in form SET-I mentioning therein the word "Revised" in red ink at the top thereof:

Provided further that the prescribed authority may, for reasons to be recorded in writing, extend the said period of seven days for such further period of time as is deemed fit in the facts and circumstances of the case.

(2) If the party fails to file revised application within the time provided in the first proviso to sub-section(1) or, as the case may be, within the extended period, as provided in the second proviso thereto, the prescribed authority shall reject the application by an order in writing in form SET-III, a copy of which shall be forwarded to the party within seven days of the application being rejected.

Provided that the rejection as aforesaid shall not debar the party from filing a fresh application.

- (3) The prescribed authority shall, within seven days of the receipt of the application or the revised application, as the case may be, verify, or cause to be verified, the particulars set forth therein.
- (4) The prescribed authority shall verify the computation of disputed amount and the settlement amount furnished by the party in the application in form SET-I and, if upon such verification, the said two amounts found to be correct, the prescribed authority shall, within seven days of such verification, intimate the party in writing to deposit the settlement amount into Government Treasury and furnish the copy of the challan evidencing such payment within the time and in the manner specified in Clause (a) of sub-section (6);

Provided that if no such intimation is sent to the party within fifteen days of the receipt of the application or the revised application, as the case may be the computation of

the disputed amount, the settlement amount and the application for settlement shall be deemed to have been accepted and the party shall proceed to deposit the settlement amount as so deemed within the time and in the manner specified in Clause (a) of sub-section (6).

- (5)(a) If upon verification under sub-section (4) the prescribed authority finds that the computation, as aforesaid, is not correct, he shall, by an order in Form SET-IV, intimate the party,
- (b) The party may, on receipt of the order specified in clause (a), file a fresh application for settlement in view of the order passed under clause (a).
- (6)(a) Upon receipt of the intimation under sub-section (4), the party shall deposit into Government Treasury, in the manner provided in rule 27 of the Bihar Value Added Tax Rules, 2005, the settlement amount specified in Section- 3,
- (b) The party shall, within seven days of the deposit of the entire settlement amount as aforesaid, file before the appropriate Court or authority a petition withdrawing the dispute.

Explanation – For the purposes of this clause the expression "appropriate Court or authority" shall mean;

- (i) the Joint Commissioner of Commercial Taxes (Appeal) or the Deputy Commissioner of Commercial Taxes (Appeal), in case of an appeal;
- (ii) the Joint Commissioner of Commercial Taxes (Administration), in case of a miscellaneous revision pending before the Joint Commissioner of Commercial Taxes (Administration);
- (iii) the Commissioner of Commercial Taxes, in case of a revision petition pending before the Commissioner of Commercial Taxes;
 - (iv) the Tribunal, in case of a revision petition pending before the Tribunal;
 - (v) the High Court, in case of a reference or Writ Petition; and
 - (vi) the Supreme Court of India, in case of a Special Leave Petition.
- (7) The prescribed authority shall, within seven days of the deposit of the entire settlement amount, as required by clause (a) of sub-section (6), and filing of the withdrawal petition, as required by clause (b) of sub-section (6), make an order in form SET-V settling the dispute.
 - (8) Upon an order of settlement of a dispute relating to –
 - (i) a revision petition pending before the Tribunal, or
 - (ii) a reference, or
 - (iii) a Writ Petition, or
 - (iv) a Special Leave Petition

being passed under sub-section (7), the said revision, reference, Writ Petition or Special Leave Petition shall be deemed to have been dismissed as withdrawn and notwithstanding anything to the contrary contained in any order or judgment of any Court or Tribunal, the said revision, reference, Writ Petition or Special Leave Petition shall be deemed never to have been preferred by the party.

- (9) Upon an order of settlement being passed under sub-section (7), the prescribed authority shall –
- (a) in the case of settlement of a dispute relating to an appeal or revision, other than a revision pending before the Tribunal, record an order in the relevant proceeding to the effect that the proceeding need not be proceeded with in view of the dispute having been settled, mentioning therein the details of such settlement,
- (b) in the case of a settlement of a dispute (other than a dispute specified in clause (a) of this sub-section or a dispute pending before the Tribunal, any High Court or the Supreme Court) communicate, within seven days, to the authority before which such dispute

is pending, a true copy of the order of settlement and the concerned authority shall, upon receipt of the said order, record an order in the relevant proceeding to the effect that the proceeding need not be proceeded with in view of the dispute having been settled, mentioning therein the details of such settlement.

Explanation- For the purposes of this sub-section, the expression "relevant proceeding" shall mean the proceeding of appeal, revision, review, reference, writ Petition or Special Leave Petition arising out of any order passed under the law and shall include a proceeding for recovery of tax, interest or penalty initiated by and pending before any authority appointed or prescribed or authorised under the law or the Bihar and Orissa Public Demand Recovery Act, 1914.

FORM SET-I

(Form of application for settlement of dispute under the Bihar Settlement of Taxation Disputes Act, 2015)
[See Section 4(1)]

[See Section 4(1)]					
Before the					
I, (full name in block letters), son of residing at					
, Telephone No email					
Id*carrying on business under the trade name					
or on behalf of the(name of the					
*partnership firm/company/AOP/HUF/etc.) and having registration No under the					
Bihar Finance Act, 1981, Bihar Value Added Tax Act, 2005 /Other Acts request that the					
following case be settled.					
*A The case is pending before the					
*B The details of proceedings arising out of an offence alleged to have been					
committed are as follows:-					
*C A notice of demand arising out of scrutiny/assessment/reassessment					
imposition of penalty or interest for the year has been served on *me/us by					
(name of the authority), which is inconsistent and the amount of admitted					
tax/assessed tax/penalty/interest in such order of scrutiny/assessment/reassessment penalty					
or interest are given below –					
(a) Amount of admitted tax :					
(b) Amount paid as admitted tax :					
(c) Proces no and date of demand notice :					
(d) Amount of dues as per demand notice :					
(e) Tax levied due to non filing of form IX					
or IXC under Bihar Finance Act, 1981 :					
(f) Balance amount of assessed tax :					
(f) Amount of interest imposed :					
(g) Amount of penalty levied :					
2. *I/We want to get the case(s) settled upon payment of Rs (in figures) or					
such sum as may be agreed upon. *I/We undertake to pay the amount as may be agreed					
upon in the appropriate Government Treasury within such time as may be directed.					

14017	1910 (31(1141(-1)), 10 31-1(11 2010
I, (ful and particulars furnished in this applic	Declaration: I name in block letters) declare that the information ation are correct and complete.
Date : *Strike out whichever is not applicable	(Signature of the applicant) e. (Status).
,	SET-II the Bihar Settlement of Taxation Disputes Act , 2015) See Section 4(2)]
Receipt No. Date –	the
Received from	an application in form SET-I
Place : Seal :	Signature of receiving officer Designation
	SET-III he Bihar Settlement of Taxation Disputes Act , 2015) See Section 5(2)]
	ne
Name and style of business in respect	
application in form SET-I has been rec	ceived:
Complete Address of said business:	
Registration number: Case/CWJC/SLP/Reference No. of dis	nuta
Nature of demand involved in dispute:	•
Period to which dispute relates:	
1	Order
date of this of 5(1) of the Act and you have further requirements of the provisos to the	T-I filed by you and acknowledged vide receipt No. fice does not conform to the requirements of section er failed to revise the same in accordance with the said section 5(1). Thus, the said application in form nce with the provisions of section 5(2) of the Bihar 2015.
Place:	Signature
Date: Seal:	Designation
Memo No.	Date –
Circle / (Dealer	
Place:	Signature

Date : Seal :

Designation

Form SET-IV

(Order under section 5(5) of the Bihar Settlement of Taxation Disputes Act, 2015) [See Section 5(5)]

Name and style of business in respect of which application for settlement has been received: Receipt No. and date vide which application in form SET-I acknowledged: Complete Address of said business: Registration number: Case/CWJC/SLP/Reference No. of dispute: Nature of demand involved in dispute: Period to which dispute relates:

Order

01401	
The amount payable on settlement as reported by you vide par SET-I filed by you is rupees	the amount payable by you on ovisions of the Act comes to
Place:	Signature
Date:	Designation
Seal:	Ü
Memo No. Date-	
Copy forwarded to (Dealer)	
Place:	Signature
Date:	Designation
Seal:	C
Form SET-V	

(Order of Settlement under the Bihar Settlement of Taxation Disputes Act , 2015) [See Section 5(7)]

Name and style of business in respect of which this application has been received:

Complete Address of the said business:

Registration number:

Case/CWJC/SLP/Reference No. of dispute:

Nature of demand involved in dispute:

Period to which dispute relates:

Amount of demand raised on applicant in respect of the disputes specified in the Table appended to section 3(1).

Payment made in relation to the dispute:

Order

The dispute whose details are set out above is hereby settled in accordance with the provisions of sub-section (7) of section 5 of the Bihar Settlement of Taxation Disputes Act , 2015.

Place: Date: Seal:				Signature Designation			
	Memo Copy	forwarded	Date- (dealer)		(Circle	Incharge)	
Place: Date:						Signature Designation	
Seal:				By order of the	Governo	r of Bihar,	
				MANC	ANOJ KUMAR,		
				Joint Secreta	etary to Government.		

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) १४१-571+400-डी०टी०पी०।

Website: http://egazette.bih.nic.in